

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु

क्रमांक:- ५५

:- कार्यालय आदेश :-:

दिनांक:- 23.11.2021

जिला आबकारी अधिकारी, चूरु से प्राप्त पत्र क्रमांक आब/पुनर्गठन/21/2080 दिनांकित 27.08.2021 के अनुसार मैं जिला चूरु में आबकारी वृत्तों तथा आबकारी थानों का पुनर्गठन किये जाने एवम् राजस्थान सचिव विधि एवम् विधिक कार्य विभाग, जयपुर की अधिसूचना प.1(1) न्याय/2021, जयपुर दिनांक 26.05.2021 हासा चूरु न्यायसेवन में न्यायाधीश अतिरिक्त स्थिविल न्यायाधीश एवम् न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु तथा न्यायालय, सिविल न्यायाधीश एवम् न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीबासर, जिला, चूरु का सूचन किये जाने के फलस्वरूप माननीय जिला एवम् सत्र न्यायाधीश महोदय, चूरु के पत्र क्रमांक न्याय/2021/4616 दिनांकित 08.07.2021 के अनुसरण में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा- 14(1) व 15(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अनिता टेलर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु "जिला चूरु" के न्यायिक मजिस्ट्रेट्स स्तर के न्यायालयों के मध्य कार्य विभाजन हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व के जारी सभी आदेशों/निर्देशों को अधिकित/अतिलाधित करते हुए समस्त दापिङ्क प्रकरणों व कार्यालयों में प्रसंज्ञान, जौच, अनंचिका व सेशन चुपुर्दगी से सम्बन्धित सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता लिंक न्यायालय अथवा वैकल्पिक दूसी एवम् मुविधा तथा अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट्स न्यायालयों के मध्य कार्य विभाजन हेतु निम्नानुसार स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित करती हैः—


:- चूरु मुख्यालय :-:

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	पुलिस थाना कोतवाली, चूरु व महिला पुलिस थाना, चूरु आबकारी वृत्त तथा आबकारी थाना (चूरु न्यायसेवन में उद्भूत होने वाले आबकारी मामले)	क्षेत्राधिकार की सीमा
1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु	1 पुलिस थाना कोतवाली, चूरु व महिला पुलिस थाना, चूरु आबकारी वृत्त तथा आबकारी थाना (चूरु न्यायसेवन में उद्भूत होने वाले आबकारी मामले)	
2	न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु	2 चूरु जिले की सीमा में उत्पन्न होने वाले औषधि एवम् प्रसाधन अधिनियम तथा आबकारी थाना (चूरु न्यायसेवन में उद्भूत होने वाले आबकारी मामले) सम्बन्धित सभी आपराधिक प्रकरण	
3	न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु	1 पुलिस थाना सदर (चूरु) तथा पुलिस थाना दूधवाखारा 2 डी.टी.ओ. चूरु में उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण 3 पुलिस थाना रतननगर में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरण	

:- राजगढ़ मुख्यालय :-:	
1	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़ (चूरु)
2	न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़ (चूरु)

पुलिस थाना, राजगढ़, पुलिस थाना सिद्धमुख, आबकारी वृत्त व आबकारी थाना, राजगढ़ (चूरु) में उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण (हमीरवास थाना क्षेत्र को छोड़कर),

1	पुलिस थाना हमीरवास में उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण
2	पुलिस थाना हमीरवास क्षेत्र में उद्भूत होने वाले आबकारी वृत्त, राजगढ़ एवम् आबकारी थाना, राजगढ़ के आबकारी सम्बन्धित समस्त प्रकरण


न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु

3	ग्राम न्यायालय, राजगढ़	1 पुलिस थाना क्षेत्र राजगढ़, पुलिस थाना सिक्कमुख तथा पुलिस थाना क्षेत्र हमीरवास में उद्भूत होने वाले वे आपराधिक प्रकरण जो ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता में आते हों।
---	------------------------	---

:- तारानगर मुख्यालय :-

1	पुलिस थाना तारानगर, पुलिस थाना साहबा एवम् पुलिस थाना भालेरी के अन्तर्गत आने वाले गाँव (भालेरी, बुचावास, मदावास, लखणवास, तोगावास, गलगटी, कोहिणा) के आपराधिक प्रकरण
2	पुलिस थाना भालेरी के अन्तर्गत आने वाले गाँव (भालेरी, बुचावास, मदावास, लखणवास, तोगावास, गलगटी, कोहिणा) में उद्भूत होने वाले सम्बन्धित आबकारी वृत्त व आबकारी थाना के समस्त प्रकरण (एजेंस, चूक व जेएम तारानगर के सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता वाले प्रकरणों को छोड़कर)
3	पुलिस थाना तारानगर तथा पुलिस थाना साहबा एवम् पुलिस थाना भालेरी के अन्तर्गत आने वाले गाँव (भालेरी, बुचावास, मदावास, लखणवास, तोगावास, गलगटी, कोहिणा) में उद्भूत होने वाले सम्बन्धित आबकारी वृत्त व आबकारी थाना के समस्त प्रकरण (एजेंस, चूक व जेएम तारानगर के सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता वाले प्रकरणों को छोड़कर)

:- सरदारशहर मुख्यालय :-

1	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मणिस्ट्रेट, सरदारशहर	1 पुलिस थाना सरदारशहर में उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण
2	न्यायिक मणिस्ट्रेट, सरदारशहर	2 आबकारी थाना, राजनगढ़ व आबकारी वृत्त, राजनगढ़ के सरदारशहर व भानीपुरा पुलिस थाना क्षेत्रों में उद्भूत होने वाले समस्त आबकारी प्रकरण
3		1 पुलिस थाना भानीपुरा व पुलिस थाना भालेरी के अन्तर्गत सरदारशहर तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण (एजेंस, चूक व जेएम तारानगर की क्षेत्राधिकारिता के प्रकरणों को छोड़कर)

:- राजनगढ़ मुख्यालय :-

1	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मणिस्ट्रेट, राजनगढ़	1 पुलिस थाना राजनगढ़, राजलदेसर में उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण
2		2 आबकारी थाना, सुजानगढ़ व आबकारी वृत्त, सुजानगढ़ में उद्भूत होने वाले समस्त आबकारी ग्रामलैंडी.ओ. सुजानगढ़ के राजनगढ़ तहसील क्षेत्र के मामलों को छोड़कर समस्त आपराधिक प्रकरण
3		3 पुलिस थाना छापर, पुलिस थाना सदर (सुजानगढ़) तथा चौटोड़ी.ओ. सुजानगढ़ के राजनगढ़ तहसील क्षेत्र के मामलों को छोड़कर समस्त आपराधिक प्रकरण

:- सुजानगढ़ मुख्यालय :-

1	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मणिस्ट्रेट, सुजानगढ़	1 पुलिस थाना सुजानगढ़, पुलिस थाना सालासर में उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण
2		2 आबकारी थाना, सुजानगढ़ व आबकारी वृत्त, सुजानगढ़ में उद्भूत होने वाले समस्त आबकारी ग्रामलैंडी.ओ. सुजानगढ़ के राजनगढ़ तहसील क्षेत्र के मामलों को छोड़कर समस्त आपराधिक प्रकरण
3	न्यायिक मणिस्ट्रेट, सुजानगढ़	1 पुलिस थाना छापर, पुलिस थाना सदर (सुजानगढ़) तथा चौटोड़ी.ओ. सुजानगढ़ के राजनगढ़ तहसील क्षेत्र के मामलों को छोड़कर समस्त आपराधिक प्रकरण
3	न्यायिक मणिस्ट्रेट, बीदासर	1 पुलिस थाना, बीदासर तथा पुलिस थाना साणडवा

उक्त आदेश आज दिनांक 01.12.2021 से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

नोट:- जहाँ पर क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में अतिलघुता की स्थिति है, वहाँ वरिष्ठतम झणी के न्यायालय को समवई का क्षेत्राधिकार होगा और जहाँ दो न्यायालयों के बीच में क्षेत्राधिकार वालत सदिष्टता है, वहाँ भी सुनवाई का क्षेत्राधिकार वरिष्ठ न्यायालय को होगा। इसके उपरान्त में स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर, प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मणिस्ट्रेट, चूक को होगा।


(अधिकारी दंतलाल) दंतलाल मणिस्ट्रेट,
मुख्य न्यायिक मणिस्ट्रेट, चूक

क्रमांक:- २०००

दिनांक:- 23.11.2021

प्रतीक्षिप्त निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, जोधपुर को, सादर मार्फत श्रीमान् जिला एवम् सत्र न्यायाधीश महोदय, चूरु
श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, चूरु को सादर प्रेषित है।
2. जिला कलेक्टर, चूरु
3. जिला पुलिस अधीक्षक, चूरु
4. जिला, पुलिस अधीक्षक, चूरु
5. अति. मुख्य न्यायिक मणिस्ट्रेट, सुजानगढ़ / सरदारशहर / रत्नगढ़ / राजगढ़
6. न्यायिक मणिस्ट्रेट, चूरु / अति. न्यायिक मणिस्ट्रेट, चूरु / तारानगर / सरदारशहर / राजगढ़ / सुजानगढ़ / बीदासर / न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, राजगढ़
7. जिला आबकारी अधिकारी, चूरु
8. जिला परिवहन अधिकारी, चूरु / सुजानगढ़ कोटे मैनेजर, जिला न्यायालय, चूरु को बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु रक्षित पत्रावली
9. रक्षित पत्रावली
10. कार्यालय प्रति।
- 11.


अनिता टेक्का २०२१
मुख्य न्यायिक मणिस्ट्रेट,
सुदूरपश्चिम मणिस्ट्रेट,